भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 193

जिसका उत्तर मंगलवार, 2 दिसम्बर, 2025/11 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

रासायनिक उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना

193. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा, स्वदेशी भारत के संबंध में, रासायनिक उर्वरकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) क्या सरकार को हाल ही में चीन से डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) की आपूर्ति में कमी किए जाने की और इससे होने वाले प्रभाव की जानकारी है;
(ग) किसानों को समय पर और निरंतर उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) सरकार कब तक नए ऊर्जा मानदंड लागू करने और यूरिया विनिर्माण इकाइयों के लिए संशोधित घटक तय करने की मंशा रखती है; और
(ड.) सरकार वर्ष 2014 से लंबित कुछ पीएसयू और सहकारी यूरिया इकाइयों के लिए प्रति मीट्रिक टन ₹2,300 का स्थिर मूल्य तय करने हेतु लंबे समय से चल रहे मामले को कब तक सुलझाएगी?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): यूरिया उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान हुई 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2023-24 के

दौरान बढ़कर 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामत: तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप, असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक बढ़ाकर अधिकतम करने के उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है।

उपर्युक्त सभी उपायों से वर्ष 2014-15 के दौरान रहा 225 एलएमटी प्रतिवर्ष का यूरिया उत्पादन वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़कर 306.67 एलएमटी हुआ है।

पीएंडके उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरक ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किए जाते हैं और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

घरेलू उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने और उर्वरकों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) अनुरोधों के आधार पर, एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को अहमियत दी गई है/संज्ञान में लिया गया है।

(ii) एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएण्डके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 की 22 ग्रेड से बढ़ाकर वर्तमान में 28 ग्रेड कर दी गई है।

(iii) मृदा को फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक एसएसपी, पर मालभाड़ा सब्सिडी, खरीफ, 2022 से लागू है।

(ख): अक्टूबर 2021 में, चीन ने अपनी ऐसी वस्तुओं की सूची में बदलाव किया, जिनमें डीएपी सहित उर्वरक से जुड़ी वस्तुओं के निर्यात से पहले अनिवार्य अतिरिक्त जांच की अपेक्षा होती है। पिछले तीन वर्षों में चीन से आयात सहित डीएपी के उत्पादन, खपत और आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

डीएपी

आंकड़े एलएमटी

वर्ष	**खपत**	**उत्पादन**	**कुल आयात**	**चीन से आयात**
2022-23	105.31	43.50	68.72	12.17
2023-24	109.72	42.96	56.71	22.28
2024-25	96.29	37.72	49.72	08.47

(ग): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक फसल मौसम के पहले निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:-

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का पर्याप्त/यथेष्ट मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों को भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) सहित फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरक ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत आते हैं। उर्वरक कंपनियां अपने बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए, खरीफ 2025 मौसम के लिए एनबीएस सब्सिडी के अलावा**,** विशेष प्रावधान जैसे **'**अन्य लागतों**',** जिनमें कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत**,** अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण लाभ/नुकसान शामिल हैं**,** को कवर करने के लिए 3500 रु प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान**,** एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी **(**एमआरपी**-**जीएसटी**)** के 4% की दर से उचित रिटर्न का प्रावधान आयातित और घरेलू डीएपी और आयातित टीएसपी दोनों के लिए किया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर रहें। ये प्रावधान रबी 2025-26 मौसम के लिए भी प्रदान किए गए हैं।

(घ): नए ऊर्जा संबंधी मानदंडों को लागू करने के संबंध में, नीति आयोग के अधीन एक विशेषज्ञ समूह को 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने वाले ऊर्जा संबंधी मानदंडों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस समूह ने यूरिया इकाइयों के लिए प्रस्तावित नए ऊर्जा संबंधी मानदंडों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट की जांच अभी उर्वरक विभाग में चल रही है।

(ड़): व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की टिप्पणी के अनुसार यूरिया इकाइयों की लागत से जुड़े मामलों को जांच और सिफ़ारिश के लिए वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार (लागत) को भेजा जा सकता है, उर्वरक विभाग ने व्यय विभाग से अनुरोध किया कि मुख्य सलाहकार (लागत) संशोधित एनपीएस-III के तहत 2300 रुपए प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम निर्धारित लागत के प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात 2 अप्रैल 2014 से फिर से लागू करने पर जांच करें और सिफ़ारिश करें। विभाग को मुख्य सलाहकार (लागत) की रिपोर्ट मिल गई है, जिसकी अभी जांच चल रही है।

****